



भा.कृ.अ.प.- भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर - 243122 (उ०प्र०), भारत

ICAR - INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE
IZATNAGAR - 243122 (U.P.) INDIA



F.No. 62-2/2022-E.I

Dated: 29th Nov., 2024

OFFICE ORDER

Sub.: Changing of Date of Birth of family members of ICAR-IVRI employees/ pensioners/ family pensioners – regarding.

It has been observed that various applications regarding changing of Date of birth of their family members are received in concerned Establishments from the employees/ pensioners/ family pensioners of this Institute. In this connection it has been decided that: -

1. The request for changing of date of birth / age of the spouse of IVRI employee / family pensioner in Service Record / PPO may be submitted by IVRI employee/ pensioner/ family pensioner to the Head of Department alongwith at least one of the documents among PAN Card, Matriculation Certificate, Passport, CGHS Card, Driving Licence, Voter's Card & Aadhaar Card issued by UIDAI and declaration on non judicial stamp paper regarding the correct date of birth of the spouse of IVRI employee/ family pensioner alongwith two witnesses (at least AAO and above officer of IVRI). The request for changing in date of birth of spouse of IVRI employee/ family pensioner (only spouse) may be allowed if the Head of Department is satisfied that the conditions indicated in DoPPW OM no. 38/37/08-P&PW(A) dated 21.05.2009 have been fulfilled and that a bona-fide mistake has been made in recording date of Birth in Service Record/ PPO.
2. In respect of changing of date of birth of Children of employees/ pensioners/ family pensioners, no such request will be entertained by the Head of Department. Employees/ pensioners/ family pensioners have to give same date of birth of their children previously mentioned in Service Record only.
3. In case of employee/ pensioner/ family pensioner who did not avail any benefits like Paternity Leave, medical reimbursement according to date of birth mentioned in Service Book/ records, insists to change the date of birth of his/ her children, he has to bring Order of Competent Authority like Court, Family Court etc.

This shall be applicable for all categories of staff of ICAR-IVRI and its regional stations/ campuses.

This issues with the approval of Director, ICAR-IVRI.


(Alka Rani)

Asstt. Admn. Officer

Copy to: -

1. All JDs/HDs/Incharges/Comptroller/CAO(SG)/CAO/SAO(U-I/II/III)/SF&AO/F&AO/ AOs/ AAOs/ AF&AO, ICAR-IVRI, Izatnagar and its Regional Stations/Campuses for information.
2. AAO (E.I/ E.II/ E.III/ Mukteswar) for necessary action as per the office order.
3. Incharge ARIS Cell for uploading this office order on the website of the Institute.



मि.सं. 62-2/2022-स्था.1

दिनांक: 21 नव., 2024

कार्यालय आदेश

विषय:- आई.सी.ए.आर. - आई.वी.आर.आई. के कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है कि इस संस्थान के कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों से संबंधित स्थापना अनुभागों में उनके परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि में बदलाव के संबंध में विभिन्न आवेदन प्राप्त होते हैं। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि:-

1). सर्विस रिकॉर्ड/ पीपीओ में आईवीआरआई कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी के जीवनसाथी की जन्म तिथि/आयु में बदलाव का अनुरोध आईवीआरआई कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी द्वारा विभाग के प्रमुख को पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सीजीएचएस कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड और यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड और गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर आईवीआरआई कर्मचारी/ परिवार पेंशनभोगी के जीवनसाथी की सही जन्म तिथि के बारे में दो गवाहों (at least AAO and above officer of IVRI) की गवाही के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। आई. वी. आर. आई. कर्मचारी/ पारिवारिक पेंशनभोगी (केवल पति/पत्नी) के पति/पत्नी की जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध की अनुमति दी जा सकती है यदि विभाग प्रमुख इस बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाये कि डी.ओ.पी.पी.डब्ल्यू. के ओ.एम. नं. 38/37/08-P & PW (A) दिनांक 21.05.2009 की शर्तों को पूरा किया गया है और सर्विस रिकॉर्ड/ पीपीओ में जन्म तिथि दर्ज करने में एक वास्तविक गलती की गई है।

2). कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के बच्चों की जन्मतिथि बदलने के संबंध में, विभाग के प्रमुख द्वारा ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को केवल सेवा रिकॉर्ड में पहले उल्लिखित अपने बच्चों की एक ही जन्म तिथि देनी होगी।

3). कर्मचारी/पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के मामले में, जिसने सेवा पुस्तिका/रिकॉर्ड में उल्लिखित जन्म तिथि के अनुसार पितृत्व अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे किसी भी लाभ का लाभ नहीं लिया है, अपने बच्चों की जन्म तिथि को बदलने का आग्रह करता है तो उसे सक्षम प्राधिकरण का आदेश लाना होगा जैसे कि अदालत, परिवार न्यायालय आदि।

यह आईसीएआर-आईवीआरआई और इसके क्षेत्रीय स्टेशन/परिसरों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा।

यह आई.सी.ए.आर. - आई.वी.आर.आई. के निदेशक की मंजूरी से जारी किया जाता है।

29/11/24

(अलका रानी)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1). सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/ प्रभारी/ नियंत्रक/ मु.प्र.अ.(व.ग्रे.)/मु.प्र.अ./व.प्र.अ.(यू. I/II/III)/व.वि. एवं ले. अधि./वि. एवं ले.अधि./स.वि. एवं ले.अधि. आई. सी. ए. आर.-आई. वी. आर. आई., इज्जतनगर और इसके क्षेत्रीय स्टेशन/परिसरों को जानकारी के लिए।
- 2). स.प्र.अ. (E.I/E.II/E.III/मुक्तेश्वर) को कार्यालय आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए
- 3). प्रभारी एरिस सेल को संस्थान की वेबसाइट पर इस कार्यालय आदेश को अपलोड करने के लिए।